2.30 (63)

# वन विभाग द्वारा निर्धारित मानक भार्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोडा में विधानसभा भिक्यासैन के अर्न्तगत हरडा–भिक्यासैन मोटर मार्ग का नव निर्माण।

**लंबाई – 17.400किमी.**

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौति रक्षित या आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति वि ोश को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनि चत कर लिया जायं कि मांगी गयी न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।

5- हस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचेगी और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा जिसके याचक विभाग सहमत है।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगी तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए मुनारे आदि की देखभाल करेगा।

7- हस्ताक्षरित वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्ताक्षरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- बहुमुल्य वन सम्पदा से आच्छिापित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिवर्श यह होना कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनि चत करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9- सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों, पौधों एवं विभाग के कर्मचारियों को नि ुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति वि ोश को हस्तान्तरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आव यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11 सडक निर्माण के प्रस्तावों में एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा.नि.वि. द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सबंध में प्रमुख अभियंता सा.नि.वि. के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्व0 क्षेत्र कुमायूं को संबोधित पत्र सं0 608 सी0 दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सा.नि.वि. द्वारा किया जायेगा कि अ वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को बदलकर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से प्याप्त न होना और नई सडक का निर्माण आवश्यक है।

(64)

12- वन विभाग का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित ही होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13- वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0, वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो विभाग को उचित समझे, द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पालन आव यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैरवानिकी क्षेत्रफल पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्षो तक परिपोशण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निशिद्व है। इसी प्रकार बांझ के वृक्षों का पालन भी विर्णित हैं। ऐसे वृक्षों का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर ही होगा।

15 वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेडों का कटान नही किया जायेगा। खंभों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबधित उपवनसंरक्षक द्वारा नि चत की जायेगी जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आव यक है।

यदि नहर आदि निर्माण में भूसंरक्षण की आव यकता होती हैं और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना अगर आव यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

16 उपरिलिखित मानक भार्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है। तो ये याचक विभाग को मान्य होगीं।

17 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उच्च भार्तो का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सुनिश्चित स्तर से आ वासन प्राप्त हो जाय।

18 प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखंड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (प्रेमपाल सिंह) | (मनोज शर्मा) | (एन.के.पन्त) | (सतीश फागली) |
| अमीन | अपर सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता, | अधिशासी अभियन्ता, |
| प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 |
| रानीखेत | रानीखेत | रानीखेत | रानीखेत |